49

नि/2017/रीवा/4560

राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

न्यायालय श्रीमान् ~~आयुक्त महोदय रीवा संभाग~~

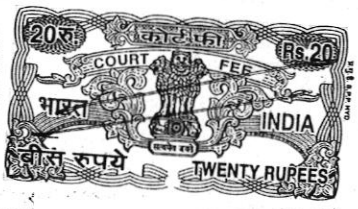

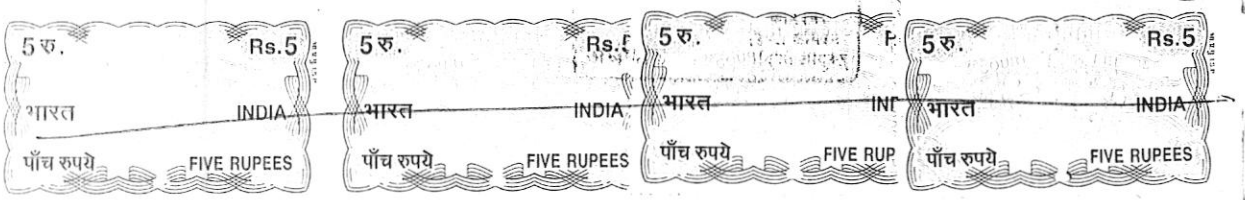

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.30/-

उमाशंकर सोनी तनय स्व0 भगवानदास सोनी, निवासी मोहल्ला कटरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ....निगराकार / आवेदक

बनाम्

1— श्रीमती इन्दिरा सिंह पत्नी व्ही0 बी0 सिंह गहरवार (रिटायर्ड कमिश्नर नगर पालिक निगम रीवा) मुख्तार सी0पी0 सिंह, निवासी छत्रपति नगर समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा हाल मुकाम ए0 जी0 कॉलेज पड़रा रीवा के पास रविप्रकाश ग्रेनडूअर कॉम्पलेक्स, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

2— श्रीमती मेहरून्निशा जौजे स्व0 हामिदरजा मुसलमान, साकिन गुड़हाई बाजार रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

3— रविप्रकाश सिंह तनय श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी शिव प्रसाद प्रधान के पास सिविल लाइन रीवा हालमुकाम ए0 जी0 कॉलेज पड़रा रीवा के पास रविप्रकाश ग्रेनडूअर कॉम्पलेक्स प्रोपा0 आर्यावर्त रियल इन्फा प्राइवेट लिमिटेड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

...................अनावेदकगण / गैरनिगरकार

अधि0श्री विजय कु0 मिश्रा
आ0 पेश 20-11-17
Presented by Shri ...
Advocate/Applicant ...
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश जिलाध्यक्ष महोदय जिला रीवा द्वारा पारित प्रक0 क्र0 62 / अ–70 / निगरानी / 2010–11 आदेश दिनांक 21 / 8 / 2017

अर्न्तगत धारा–50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

<u>मामले का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :–</u>

यहकि भूमि खसरा न0 359 रकबा 0.028हे0 यानी 0.07ए0 एवं खसरा नं0 360 रकबा 0.101हे0 यानी 0.25ए0 स्थित ग्राम पड़रा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 आवेदक / निगराकार के स्वत्व व आधिपत्य की पैतृक संपत्तियॉ है। जिसमें वर्ष 1953 में आवेदक / निगराकार के पिता स्व0 भगवानदास के द्वारा स्वत्व अर्जित किया गया था। जो मौके पर बदस्तूर आजतक निरन्तर उनके जीवनकाल तक उनका कब्जा दखल और दनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी / आवेदक का निरन्तर कब्जा दखल चला आ रहा है। जिसमें मौके पर कई दुकानें निर्मित थी, जो समयानुसार गिर गई है और वर्तमान में उक्त भूमियॉ खाली पड़ी है। किन्तु अनावेदक क्र0 1 व 2 ने साजिश करके फर्जी तरीके से बिना किसी हक व स्वत्व के भूमि नं0 360 के पूरे रकबे में राजस्व अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर गलत नामान्तरण करा लिया है। भूमि नं0

उमाशंकर सोनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4560

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 62 अ–70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 21–8–2017 के पद 2 में इस प्रकार उल्लेख है :– पद–2 :– प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि आवेदक व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा पड़रा जनरल नंबर 333 तहसील हुजूर जिला रीवा की आराजी नंबर 359 पुराना नंबर 319 रकबा 0.028 हैक्टयर यानि 0.07 एकड़ भूमि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्व व कब्जे दखल की भूमि है । प्द–5 :– अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पत्र पत्र के आधार पर स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा अनावेदकगणों से प्राप्त जवाव के आधार पर प्रकरण संभावनाओं के आधार पर पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित अंतिम आदेश अपील योग्य आदेश है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी, जबकि कलेक्टर व्दारा अपील योग्य आदेश के विरूद्व निगरानी सुनकर अंतिम	

आदेश पारित किया है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 62 अ–70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 में प्रकियात्मक दोष होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता।

3/ जहॉ तक आवेदक व्दारा मांगे गये अनुतोष का प्रश्न है ? कलेक्टर व्दारा दोषपूर्ण पारित आदेश के विरूद्व विचाराधीन निगरानी में अन्य किसी प्रकार का अनुतोष आवेदक को दिया जाना द्वित्तीय पक्ष के हितों के विपरीत है। आवेदक चाहे , इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायाय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ तद्नुसार कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 62 अ–70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार करते हुये इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य